

**श्री दीपक आनन्द, भा0प्र0से0, समाहर्ता, सारण की अध्यक्षता में दिनांक
11.02.2015 को आयोजित आंतरिक संसाधन की बैठक की कार्यवाही।**

उपस्थिति :- उपस्थिति पंजी के अनुसार।

सर्व प्रथम समाहर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। समीक्षा के दौरान राजस्व संग्रह की स्थिति निम्नवत् पायी गयी :-

1. **परिवहन (Transport) :-** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण के वार्षिक लक्ष्य- 2236.00 लाख रूपयें के विरुद्ध माह जनवरी तक 1751.33 लाख रूपयें का राजस्व संग्रहण किया गया है। लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं किये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ससमय लक्ष्य को पूरा कर लिया जायेगा। समन की राशि के संबंध में मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन पदाधिकारी एवं तीनों अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी। पृच्छा के क्रम में प्रवर्तन पदाधिकारी द्वारा कुछ दिनों से स्वास्थ्य सही नहीं रहने की बात कही गई। तीनों अनुमण्डल पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने की स्थिति में तीनों भूमि सुधार उप समाहर्ता को लक्ष्य के अनुरूप वसूली हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी को बताने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही समाहर्ता द्वारा शहर में बिना हेमलेट एवं तेज गति से चलाये जा रहे वाहन पर रोक लगाने हेतु नियमित जांच करने का निदेश जिला परिवहन पदाधिकारी, M.V.I एवं प्रवर्तन पदाधिकारी को दिया गया। शहर में लग रहे जाम से मुक्ति पाने हेतु रोड पर लगाये जा रहे दुकान एवं सड़क के किनारे लगाये रहें वाहन को हटवाने हेतु M.V.I प्रवर्तन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, सदर को निदेश दिया गया, ताकि शहर में यातायात की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकें।

अनुपालन- जिला परिवहन पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर/मढ़ौरा/सोनपुर/M.V.I/ प्रवर्तन पदाधिकारी।

2. **वाणिज्य कर (Commercial Taxes) :-** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वाणिज्यकर विभाग के वार्षिक लक्ष्य- 7100.91 लाख के विरुद्ध- 4190.34 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है। जो वार्षिक लक्ष्य का मात्र 59.01 प्रतिशत ही है।

समाहर्ता द्वारा लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं किये जाने पर पृच्छा की गयी, जिसपर बताया गया कि मधुकोन के पास 1 करोड़ बकाया है। साथ ही माह मार्च 2015 तक शतप्रतिशत वसूली कर लेने का आश्वासन दिया गया। समाहर्ता द्वारा लगातार छापेमारी करने तथा शतप्रतिशत वसूली करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन- वाणिज्य कर उपायुक्त, सारण, छपरा।



3. **राष्ट्रीय बचत (National Savings)** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सारण के वार्षिक लक्ष्य- 14000.00 लाख रूपयें के विरुद्ध- 14101.28 लाख रूपयें का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 100.72 प्रतिशत है।

समाहर्ता द्वारा लक्ष्य से ज्यादा राजस्व संग्रहण किये जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए राजस्व संग्रहण में और तेजी लाने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन- कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, सारण।

4. **उत्पाद (Excise)** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उत्पाद विभाग के द्वारा वार्षिक लक्ष्य 7044.00 लाख के विरुद्ध 6414.00 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का मात्र 91.06 प्रतिशत ही है। जिसपर समाहर्ता द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजस्व संग्रहण में और तेजी लाने एवं नियमित छापेमारी करने हेतु उत्पाद अधीक्षक को निदेश दिया गया।

अनुपालन- उत्पाद अधीक्षक, सारण।

5. **खनन (Mining)** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि खनन विभाग के वार्षिक लक्ष्य 2342.32 के विरुद्ध 1068.00 लाख रू0 की वसूली की गयी है, जो वार्षिक लक्ष्य के 45.62 प्रतिशत हैं।

समाहर्ता द्वारा की गयी वसूली पर असंतोष व्यक्त करते हुए माह मार्च 2015 तक लक्ष्य की शतप्रतिशत पूर्ति हेतु राजस्व संग्रहण करने का निदेश दिया गया। साथ ही अवैध तरीके से बालू घाटों का हो रहे खनन एवं डुलाई पर रोक लगाने हेतु अपने अपने थाना से सम्पर्क करके आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया। साथ ही खनन पदाधिकारी को हर हाल में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन- खनन पदाधिकारी, सारण।

6. **जिला परिषद (Jila Parishad)** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभाग द्वारा वार्षिक लक्ष्य 86.09 लाख के विरुद्ध 81.25 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के 94.38 प्रतिशत है।

समाहर्ता द्वारा राजस्व संग्रहण की स्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। साथ ही राजस्व संग्रहण में और गति लाने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन- उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सारण।

7. **सहकारिता (Co-operative)** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 17.53 लाख के विरुद्ध माह- जनवरी 2015 तक मात्र 7.80 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के 44.50 प्रतिशत है।

समाहर्ता द्वारा विभाग के राजस्व संग्रहण की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए वार्षिक लक्ष्य हर हाल में पूरा करने का निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया। जिनपर सहकारिता पदाधिकारी द्वारा ससमय लक्ष्य पूरा कर लेने का आश्वासन दिया गया।

अनुपालन- जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण।

8. **विद्युत (Electricity)** :- समीक्षा के क्रम में विद्युत पूर्वी एवं पश्चिमी के कार्यपालक अभियंता V.C में रहने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें।

अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, छपरा पूर्वी एवं पश्चिमी।

9. **मत्स्य (Fisheries)** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 22.83 लाख के विरुद्ध 11.12 लाख रू० का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के 48.71 प्रतिशत है। लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं किये जाने पर मत्स्य पदाधिकारी से कारण-पृच्छा की गयी। इस पर मत्स्य पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि समिति को पैसा जमा करने हेतु पत्र लिखा गया है। ससमय 100% वसूली का आश्वासन दिया गया। समाहर्ता द्वारा ससमय लक्ष्य की पूर्ति हेतु वसूली में गति लाने का निदेश दिया गया।

अनुपालन- जिला मत्स्य पदाधिकारी, सारण।

10. **माप-तौल (Weights-Measure)** :- समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि माप-तौल विभाग के वार्षिक लक्ष्य 48.46 लाख के विरुद्ध माह- जनवरी 2015 तक 30.36 लाख रू० का राजस्व संग्रहण किया गया है जो वार्षिक लक्ष्य का 62.65 प्रतिशत है।

समाहर्ता द्वारा राजस्व संग्रहण की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कम राजस्व संग्रहण के संबंध में कारण पृच्छा की गयी। इस पर निरीक्षक माप-तौल द्वारा बताया गया कि गैप वर्ष चल रहा है, जिसके कारण वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। समाहर्ता द्वारा नियमित छापेमारी करने का निदेश दिया गया। साथ ही अगली माह के बैठक के पूर्व वसूली शतप्रतिशत करने का निदेश दिया गया। समीक्षा के क्रम में सहायक कृषि निदेशक -सह- उप नियंत्रक, माप-तौल, सारण प्रमण्डल, छपरा को पेट्रोल पम्प का नोजल वगैरह एवं P.D.S दुकानों का नियमित जांच करने की बात, बतायी गयी, जिस पर समाहर्ता द्वारा पेट्रोल पम्प, P.D.S दुकान एवं दुकानदारों का जांच करने का निदेश सहायक कृषि निदेशक -सह- उप नियंत्रक, माप-तौल, सारण प्रमण्डल, छपरा को निदेश दिया गया।

अनुपालन- सहायक कृषि निदेशक -सह- उप नियंत्रक, माप-तौल, सारण प्रमण्डल, छपरा।

11. **औषधि नियंत्रक** :- समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि माह- जनवरी 2015 तक 5.07 लाख रू० का वसूली किया गया है, जिसपर समाहर्ता द्वारा विभाग के राजस्व संग्रहण की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कम से कम 7.50 लाख का राजस्व संग्रहण करने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही अनुज्ञापन पदाधिकारी, औषधि नियंत्रक प्रमण्डल, छपरा को दवा दुकानों का नियमित जांच करने का निदेश दिया गया ताकि गलत दवा का बिक्री दुकानदारों द्वारा नहीं किया जा सकें।

अनुपालन- औषधि नियंत्रक, सारण।

12. **वन विभाग** :- समीक्षा के क्रम में वन विभाग के पदाधिकारी उपस्थित नहीं हैं, जिसपर समाहर्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अगली बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेने हेतु अर्द्ध सरकारी पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन- जिला राजस्व शाखा, छपरा।

13. **निबंधक (Registration)** :- समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 9200.00 लाख के विरुद्ध 6278.68 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 68.25 प्रतिशत हैं। समाहर्ता द्वारा लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण नहीं किये जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन- जिला अवर निबंधक, सारण/अवर निबंधक, परसा, एकमा, मधरक, मढ़ौरा एवं सोनपुर।

14. **नगर परिषद, छपरा (Nagar Parishad)** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 343.58 लाख रू0 के विरुद्ध 435.54 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 126.77 प्रतिशत है।

समाहर्ता द्वारा राजस्व संग्रहण की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए राजस्व संग्रहण में और गति लाने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही सभी नगर पंचायत को नियमित समीक्षा करने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, छपरा को निदेश दिया गया।

अनुपालन- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, छपरा।

15. **नगर पंचायत, एकमा** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह- जनवरी 2015 तक कुल 1.11 हजार रू0 की राजस्व संग्रहण हुआ है।

समाहर्ता द्वारा राजस्व संग्रहण की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, एकमा से पृच्छा की गई, जिसपर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कर निर्धारण का कार्य चल रहा है, जिसमें 10 वार्ड का कार्य पूर्ण हो चुका है। माह- फरवरी 2015 तक निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया जायेगा, जिसपर समाहर्ता द्वारा कर निर्धारण का कार्य अविलम्ब पूरा करने के साथ ही राजस्व संग्रहण में गति लाने का निदेश दिया गया।

अनुपालन- जिला राजस्व शाखा, छपरा।

16. **नगर पंचायत, रिविलगंज** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 81.58 लाख रू0 के विरुद्ध 6.88 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है। जो वार्षिक लक्ष्य का 8.43 प्रतिशत है।

समाहर्ता द्वारा राजस्व संग्रहण की स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कारण-पृच्छा की गयी, जिसपर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 15 वार्ड का लक्ष्य निर्धारण का कार्य हुआ है, शेष पर कार्य चल रहा है। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जो वार्षिक लक्ष्य है वह पिछले वर्ष का बकाया राशि है, समाहर्ता द्वारा निर्धारित वार्षिक की पूर्ति हेतु राजस्व संग्रहण में गति लाने का निदेश कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रिविलगंज को दिया गया।

अनुपालन- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रिविलगंज।

17. **नगर पंचायत, परसा** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 5.70 लाख रू0 के विरुद्ध 3.43 लाख रू0 की वसूली की गई, जो वार्षिक लक्ष्य का 60.18 प्रतिशत है।

समाहर्ता द्वारा राजस्व संग्रहण की स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कारण-पृच्छा की गयी, जिसपर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि ससमय लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण कर ली जायेगी।

अनुपालन- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, परसा।

18. नगर पंचायत, मढ़ौरा :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह— जनवरी 2015 तक 3.43 लाख की राजस्व संग्रहण किया गया हैं।

समाहर्ता द्वारा राजस्व संग्रहण की स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी से कारण-पृच्छा की गयी, जिसपर बताया गया की माह— अक्टूबर से होल्डिंग के अनुरूप राजस्व संग्रहण की जा रही है। समाहर्ता द्वारा राजस्व संग्रहण में गति लाने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मढ़ौरा को निदेश दिया गया।

अनुपालन— कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मढ़ौरा।

19. जिला कृषि :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह— जनवरी 2015 तक 5.93 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया हैं।

समाहर्ता द्वारा लक्ष्य नहीं दिये जाने के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी से पृच्छा की गई, जिसपर कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभाग से लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है।

अनुपालन— जिला कृषि पदाधिकारी, सारण।

20. नलकूप :- समीक्षा के क्रम में नलकूप विभाग के पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं है। समाहर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित नहीं होने के कारण कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण पूछने हेतु निदेश दिया गया।


अनुपालन— जिला राजस्व शाखा, छपरा।

इसी के साथ सधन्यवाद बैठक की कांवेवाही समाप्त की गयी।


समाहर्ता,
सारण, छपरा।


ज्ञापांक/ दिनांक

प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, सारण छपरा एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


समाहर्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 271 / दिनांक 20/2/15

प्रतिलिपि— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करते हेतु प्रेषित।


समाहर्ता,
सारण, छपरा।